प्रेस विज्ञप्ति
15.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) सीमेंस परियोजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23.54 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। उक्त परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना था।

ईडी ने एपीएसएसडीसी सीमेंस परियोजना के मामले में एपी सीआईडी द्वारा मेसर्स डिजाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (डीटीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सीमेंस परियोजना में निवेश किए गए धन को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट और गबन करके आंध्र प्रदेश सरकार को धोखा देने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स डीटीएसपीएल के प्रबंध निदेशक विकास विनायक खानवेलकर, सौम्यद्री शेखर बोस उर्फ सुमन बोस (मैसर्स सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक) और उनके करीबी सहयोगियों, मुकुल चंद्र अग्रवाल और सुरेश गोयल ने बहुस्तरीय लेनदेन के माध्यम से सरकारी धन की हेराफेरी की और सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के बहाने फर्जी चालान के बल पर धन का गबन किया। प्रवेश प्रदाताओं की सेवाएं निधियों के अन्यत्र उपयोग के लिए ली गई थीं जिसके लिए उन्हें कमीशन का भुगतान किया गया था। उक्त आरोपी व्यक्तियों और प्रवेश प्रदाताओं के हाथों में अपराध की आय की पहचान की गई और बैंक बैलेंस और शेयरों के रूप में विभिन्न चल संपत्तियों और दिल्ली एनसीआर, मुंबई और पुणे में आवासीय संपत्तियों के रूप में अचल संपत्तियों का पता लगाया गया और उन्हें कुर्क किया गया।

इससे पहले, ईडी ने मेसर्स डीटीएसपीएल की 31.20 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जब्त की थी, जिसकी पुष्टि एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (पीएमएलए) ने की है। ईडी ने विकास विनायक खानवेलकर, सुमन बोस, मुकुल चंद्र अग्रवाल और सुरेश गोयल को भी गिरफ्तार किया था; और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी। माननीय न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है।

आगे की जांच प्रगति पर है।